आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
4.12.2020	अतिक्रमण अपील वाद सं0– 6/2019–20 प्रवीण कुमार बनाम झारखण्ड राज्य द्वारा उपायुक्त, गढ़वा एवं अन्य **आदेश** यह वाद आवेदक प्रवीण कुमार, वल्द–राजेन्द्र साव, ग्राम–पिपराकलां थाना–गढ़वा, जिला गढ़वा की ओर से अंचल अधिकारी गढ़वा द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या 4/19–20 में दिनांक 20.8.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील आवेदन पर प्रारंभ किया गया है। अपीलार्थी का अपील आवेदन में कहना है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम–पिपराकला, थाना–गढ़वा के खाता संख्या 49 प्लॉट संख्या 118 रकबा 0.01½ एकड़ भूमि से संबंधित है जो कार्यपालक अभियंता अनुसंधान प्रमण्डल गढ़वा एवं जल संसाधन विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा कनहर आवासीय कॉलोनी गढ़वा के लिये अधिग्रहित भूमि के चाहरदिवारी के अंदर चाहरदीवारी के पूर्वी कोना में अवस्थित है। उक्त आवासीय कॉलोनी वर्ष 1970–72 में सरकारी खर्च से बना हुआ है। तदनुसार प्रश्नगत भूति अतिक्रमण एक्ट से प्रभावित नहीं हो सकता है एवं अंचल अधिकारी गढ़वा अतिक्रमण आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं है। अपील आवेदन में उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी कार्यपालक अभियन्ता अनुसंधान प्रमण्डल के रैयत हैं। इस प्रकार उस स्थिति में प्रश्नगत भूमि लोक भूमि नहीं है। अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा प्रश्नगत भूमि को लोक भूमि मानकर आदेश पारित किया जाना नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी न तो बाहरी व्यक्ति है और न जल संसाधन विभाग झारखण्ड सरकार के बगैर अनुमति के हैं। अपीलार्थी कार्यपालक अभियन्ता अनुसंधान प्रमण्डल के रैयत होने के हैसियत से प्रश्नगत भूमि/क्वाटर के दखल में हैं। अपीलार्थी जल संसाधन विभाग झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या 3652 दिनांक 2.12.2004, में निहित आदेश के तहत चिन्हित रैयत हैं तथा किराया अदा कर उक्त परिसर के मालिक हैं। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि के मालिक एवं रैयत के बीच सभी प्रकार के कानूनी प्रक्रिया अपनायी गयी हैं। तदनुसार अंचल अधिकारी गढ़वा द्वारा पारित आदेश कानून की दृष्टि में गलत है एवं संधारणीय नहीं है। अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि कार्यपालक अभियंता अनुसंधान प्रमण्डल गढ़वा से अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक 10 दिनांक 10.1.2006 द्वारा निर्धारित किराया पर व्यवसायिक उपयोग हेतु प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि/कॉलोनी पर अंचल अधिकारी, गढ़वा का नियंत्रण नहीं है बल्कि कार्यपालक अभियंता अनुसंधान प्रमण्डल गढ़वा जल संसाधन विभाग झारखण्ड सरकार के पूर्ण स्वामित्व की भूमि है जो अपीलार्थी के दखल कब्जा में है। इस स्थिति में अंचल अधिकारी गढ़वा द्वारा सूचना तामिल कराया जाना कानून की दृष्टि में गलत है। इतना ही नही अपील आवेदन में उनका यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा आदेश पारित करने के क्रम में अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही नियम विरूद्ध आदेश पारित कर अतिक्रमण हटाने हेतु सूचना निर्गत किया गया है। अंचल अधिकारी गढ़वा द्वारा दिनांक 20.8.2019 एव 30.8.2019 को अतिक्रमण हटाने हेतु पारित आदेश उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। अपील आवेदन में उन्होनें अंचल अधिकारी, गढ़वा द्वारा दिनांक 20.8.2019 एवं 30.8.2019 को पारित आदेश को अपास्त करने हेतु अनुरोध किया है। अपीलार्थी एवं अंचल अधिकारी गढ़वा को सुनने के साथ–साथ अंचल अधिकारी, गढ़वा से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख एवं अपीलार्थी की ओर से दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा मौखिक समर्पण किया गया कि कार्यपालक अभियंता अनुसंधान	

प्रमण्डल गढ़वा के पत्रांक 106 दिनांक 03.5.2014 द्वारा अनुसंधान प्रमण्डल गढ़वा अन्तर्गत कनहर आवासीय शिविर स्थित डी0 आकार का आवास संख्या डी0–1 कॉपरेटिव दुकान–सह–कम्प्यूटर प्रीटिंग एवं स्टेशनरी दुकान खोलने हेतु निर्धारित भाड़ा 550/–रू0 प्रति माह पर उन्हें दिया गया है। अपीलार्थी को उक्त आवास व्यवसायिक उद्देश्य से प्राप्त है जिसमें वे व्यवसाय का कार्य करते हैं। अपीलार्थी द्वारा कोई भी नव निर्माण कार्य नहीं किया गया है। फलस्वरूप अंचल अधिकारी गढ़वा द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या 4/19–20 में अतिक्रमण हटाने हेतु पारित आदेश उचित नहीं है।

अंचल अधिकारी गढ़वा द्वारा अपीलार्थी के कथन का खंडण करते हुए मौखिक समर्पण किया गया कि ग्राम–पिपराकलां के खाता संख्या 49 प्लॉट संख्या 118 रकबा 0.01½ एकड़ भूमि जो गढ़वा अनुमंडल के लिए अर्जित भूमि के अन्तर्गत है, पर अपीलार्थी द्वारा पक्का दुकान का निर्माण कर अतिक्रमित किया गया है। प्रश्नगत भूमि गढ़वा अनुमण्डल के लिए अर्जित होने के साथ–साथ गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक है। प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि होने के बावजुद भी अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अवैधानिक रूप से निर्माण कार्य किया गया है जिसे हटाने के लिए लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत अंचल कार्यालय गढ़वा में अतिक्रमण वाद संख्या 4/19–20 संधारित कर दिनांक 20.8.2019 को अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश पारित किया गया है। अंचल अधिकारी गढ़वा द्वारा यह भी मौखिक समर्पण किया गया कि अपीलार्थी का यह कहना कि कोई नव निर्माण कार्य नहीं किया गया है, असत्य एवं निराधार है।

अपीलार्थी एवं अंचल अधिकारी गढ़वा को सुनने तथा अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन वो निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ–साथ सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम पिपराकलां के खाता संख्या 49 प्लॉट संख्या 118 रकबा 0.01½ एकड़ भूमि से संबंधित है जो भूमि अधिग्रहण वाद संख्या 42/1954–55 के तहत अनुमंडल मुख्यालय हेतु अर्जित भूमि के अन्तर्गत है। अंचल अधिकारी गढ़वा द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या 4/19–20 में दिनांक 20.8.2019 को पारित आदेश से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि जहां एक ओर गढ़वा अनुमण्डल के लिए अर्जित भूमि के अन्तर्गत है वहीं दूसरी ओर प्रश्नगत खाता वो प्लॉट की भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक है जिसपर अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाना अवैधानिक होने के साथ–साथ बिहार/झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 का उल्लघंन करना है। जहां तक अपीलार्थी का यह कथन कि कार्यपालक अभियंता अनुसंधान प्रमण्डल गढ़वा के पत्र आदेश पत्रांक 106 दिनांक 03.8.2014 द्वारा अपीलार्थी को अनुसंधान प्रमण्डल गढ़वा अन्तर्गत कनहर आवासीय शिविर स्थित डी0 आकर का आवास संख्या डी0–1 कॉपरेटिव दुकान–सह–कम्प्यूटर प्रीटिंग एवं स्टेशनरी दुकान खोलने हेतु किराया पर प्राप्त है जिसका वे किराया अदा करते हैं, को देखा जाय तो भी उक्त आदेश में किसी भी प्रकार के नव निर्माण कार्य का अनुमति नहीं है। साथ ही अपीलार्थी के अपील आवेदन में यह कहना कि जल संसाधन विभाग झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या 3652 दिनांक 02.12.2004 में निहित आदेश के तहत चिन्हित रैयत हैं, गलत एवं निराधार हैं। चूँकि मात्र उक्त निर्गत पत्र के आधार पर उन्हे चिन्हित रैयत नहीं कहा जा सकता है। इस स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य किया जाना नियम विरूद्ध है। इतना ही नहीं अपीलार्थी का यह कथन कि प्रश्नगत भूमि पर उनके द्वारा कोई नव निर्माण कार्य नहीं किया गया है, असत्य एवं निराधार है, चूँकि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.11.2020 को समर्पित आवेदन में स्पष्टतः इस तथ्य को उजागर किया गया है कि प्रस्तुत अपील में न्याय निर्णय होने तक तथाकथित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई न किया जाय। अपीलार्थी का उक्त कथन प्रश्नगत भूमि जो एक सरकारी भूमि है, पर अतिक्रमण करने का द्योतक है। दूसरी ओर निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ संलग्न कार्यपालक अभियंता अनुसंधान प्रमण्डल गढ़वा द्वारा निर्गत पत्र संख्या 239 दिनांक 01.9.2014 एवं पत्रांक 278 दिनांक 27.9.2014 से भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी प्रवीण कुमार द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य कराया गया है जो नियम विरूद्ध है।

इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि

प्रश्नगत भूमि भू–अर्जन वाद संख्या 42/1954–55 के तहत अर्जित भूमि के अन्तर्गत होने के साथ–साथ गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक भूमि है। इस स्थिति में अपीलार्थी प्रवीण कुमार द्वारा प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाना नियम विरूद्ध है। फलतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अंचल अधिकारी गढ़वा द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या 4/19–20 में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

4/12/2020

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।

4/12/2020

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।